

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/17/13 807


दिनांक :- 6/6/17

—:परिपत्र:—

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त।

विषय :- फायरमैन के कार्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये आपको यह निर्देश दिये जाते है कि आपकी नगर निकाय में फायरमैन के पद पर नियुक्त कर्मचारियों से इनकी योग्यता/सुविधानुसार नगर निकायों के संचालित अन्य कार्य जैसे राजस्व, अतिक्रमण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य (शिविरों के परिपेक्ष में) लिये जावे। जिससे मुख्यमंत्री जनकल्याण शिविरों के आयोजित शिवरो को सुगमता से निष्पादित किया जा सके। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश जारी किये जा चुके है। अतः इन निर्देशों की अविलम्ब पालना सुनिश्चित की जावे।


(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव